Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या –152 / 2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री शंकरलाल सैनी (आर.ए.एस.)

मंजूदेवी पत्नि सूर्य प्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी केकडी जिला अजमेर राजस्थान

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

सत्यमेव जयते

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 09.01.2019

पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादिया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादिया की वाद ग्रस्त भूमि वाके कस्बा केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 1318 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3846 रकबा 0.14 है. भूमि वादिया के नाम खातेदार दर्ज है एवं वादिया के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार, हक अधिकार नही है। वादिया की आराजीयात पर पडोसी द्वारा आये दिन सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। पडोसी खातेदार द्वारा पूर्व में करवाये गये सीमाज्ञान के चिन्हो नष्ट कर दिये गये। जिसके कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादिया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज दिनांक 9.1.2019 को न्यायालय हाजा में पेश हुई वादिया के अधिवक्ता द्वारा फर्द दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। फर्द दस्तावेज के साथ भू.अभि. निरी. ,पटवारी हल्का केकडी की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2015 पेश की गई जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी वादिया की स्वयं की खातेदारी होने से वादिया का वाद प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है एवं वादपत्र का संतुलन वादिया के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादिया का दावा वाके कस्बा केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 1318 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3846 रकबा 0.14 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर पत्थरगढी की जाकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया व निर्णय शामिल पत्रावली किया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)